

35/1/19

दिनांक 12-11-16

प्रकरण आज लोक अदालत में पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उपप0।

आरोपी पप्पू उर्फ लाइन स्वय सहित श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित।

फरियादी नरोत्तम ने उपस्थित होकर राजीनामा करना व्यक्त किया और राजीनामा की अनुमति चाही समयपक्ष ने निश्चित डोंकोट हस्ताक्षरित पर पेश किया कि उनमें समझौता हो चुका है और वे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आरोपी के विरुद्ध भा.द.स की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग-2 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार किया गया है जो न्यायालय की अनुमति उपरांत राजीनामा योग्य है। फरियादी ने आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। फरियादी राजीनामा करने के लिये सक्षम है। अतः समयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार करते हुए उन्हें राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आरोपी व फरियादी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा पेश किया गया है। अतः राजीनामा के आधार पर आरोपी को भा.द.स की धारा 294, 323/34, 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके मारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम पत्नी में दर्ज कर प्रकरण अमिलेबागार भेजा जावे।

सदस्य

श्री प्रमोद स्वामी एड. गोहद,

प्रीतिश गर्ग,

पीठातीन अधिकारी,

लोक अदालत पीठ क्रमांक -22

श्री सतेन्द्रसिंह तोमर एड.गोहद,